

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

निसारखान बनाम भासीनखान आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 250/2020

निर्णय दिनांक :- 8-11-2021

वादी की ओर से वकील श्री मुंशी राम गोहवाणी की व प्रतिवादी सं० 1/7/10 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र गील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

वादशुमि रोही रासलामा के खसरा सं० 285/5 की 2.529, 285/7 की 4.325, 285/9 की 1.714 हेक्टेयर कुल 8.568 हेक्टेयर (काराने खाने वाली) के वादी निसारखान एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 6 अलामखान शम्शोर खान, गुफार खान, रमजान खान, मकसुम खान को वाहिस्सा करावर के अनुसार खतवा काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त वादशुमि में प्रतिवादी सं० 1, 7 ता 10 ने अपना एक हिस्सा वादी के प्रतिवादी सं० 2 ता 6 के पक्ष में तर्क दिया है। इसलिए उक्त पक्ष के पक्ष में हिस्सा पर निश्चयानुसार स्वयं उक्त पक्ष कटवाई जावे पर वादशुमि में प्रतिवादी सं० 1 भासीनखान का नाम कलमजंज कर राजस्व रिकार्ड पुनस्त किया जावे। वादशुमि रहनमुक्त होने के उपरान्त पालना कराई जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़
21/11/21